

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1646 विधि

सहरसा, दिनांक 07-8-2028

प्रतिलिपि :-

(1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुनः वाद सं०-100/2021 में दिनांक-03.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-266/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-02 पन्ना तथा अन्य कागजात-47 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।  
अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :-

श्रीमती अंजली कुमारी, पति-मिलन कुमार / अर्चना कुमारी, पति-मनु कुमार दोनों ग्राम-भुलिया, पो०-कचरा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी (विधि)  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश नं० ..... ता० ..... से ..... तक  
 दिनांक ..... सं० ..... , सन् १९.....  
 प्रकाशक .....

आदेश नं० आदेश-पत्रक दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिनांक, तारीख-सहित ३
03/06/2023	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</b></p> <p style="text-align: center;">आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-100/2021                      अंजली कुमारी .....पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;"><b>--बनाम--</b></p> <p style="text-align: center;">राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;"><b>--: आदेश :-</b></p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद अंजली कुमारी, पति-मिलन कुमार, सा०-भुलिया, पो०-कचरा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-266/2021 अंजली कुमारी बनाम अर्चना कुमारी, राज्य एवं वगैरह में दिनांक 27.03.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।</p> <p>दिनांक 25.05.2023 को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 यथा संशोधित 2222 दिनांक 25.05.2018 के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवारों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही</p>	

*(Signature)*

समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

*Pran*  
२/६/२३

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

*Pran*  
२/६/२३

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा